

फर्द अहकाम  
(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना  
बंशी आदि बनाम कालू आदि

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. 85 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.3.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 1 ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की पूर्व में भी दिनांक 23.12.2019 को एक पक्षिय कार्यवाही 500/-रूपये कोस्ट पर अपारत की गई थी तत्पश्चात ना तो प्रतिवादी सं. 1 की ओर से कोई कोस्ट वदा किया गया है एव ना ही जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से मैरीट पर देखा गया। वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.03.2018 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा वादीगण के हिस्से का विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने भी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकूलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने एवं प्रतिवादी सं. 1 की ओर से मैरीट पर देखने के पश्चात दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 4638/भूअ./19 दिनांक 20.06.2019 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को खुले न्यायालय में रूबरू वकूलाय उभय पक्ष सुनाया गया।</p>	

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)



डिकरी व मुकदमे इत्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत व इजलास बंशी आदि  
उपखण्ड अधिकारी बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)  
मुकाम उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
नीमकाथाना  
बनाम कालू आदि  
-वादीगण- -प्रतिवादीगण-  
दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 85 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशन अग्रवाल एडवोकेट- वादीगण मिनजानिव मुद्दई व श्री देशराज शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 4638/भू.अ./19 दिनांक 20.06.2019 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निज.....\*.....मुबलिंग.....\*.....बाबत.....\*

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....\*.....फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....\*.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 03 माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

सलगन:-उनवान प्रकरण

(बृजेश कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना  
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।